दिनांक–09.09.2026 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार के गया जी जिले के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् है:–
   - श्री नवीन कुमार सिंह, निदेशक
   - श्री नजर हुसैन, विशेष सचिव
   - श्री आदित्य प्रकाश, अपर सचिव
   - मो0 वसीम अहमद, अपर सचिव
   - श्री शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव
   - श्रीमती राज ऐश्वर्या श्री, उप सचिव
2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी।
3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये:–

I. Audit:--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गया जी जिले द्वारा कुल 17 योजनाओ में से एक का भी ऑडिट रिपोर्ट Hard Copy में विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। DPRO द्वारा बताया गया कि दिनांक– 20.09.2026 तक सभी 17 योजनाओ का ऑडिट रिपोर्ट Hard Copy में विभाग को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

लोक लेखा समिति की वर्ष 2018–19 की 02 एवं 2020–21 की 01 कंडिका लंबित है। निदेश दिया गया कि लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन दो दिनो के अंदर विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

II. लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थिति तथा अनुपालन :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक जिले में कुल मिलाकर 531.06 करोड़ रूपये की UC लंबित है। Pre CFMS Period में प्रतिनिधि भत्ता, पंचम राज्य वित्त आयोग, 12वाँ वित्त आयोग, ग्राम कचहरी न्यायमित्र/सचिव के मानदेय एवं किराया उपस्कर, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं बी0आर0जी0एफ0 से संबंधित सर्वाधिक UC लंबित है। DPRO द्वारा बताया गया कि प्रतिनिधि भत्ता का 13 करोड़, पंचम राज्य वित्त आयोग का 3.5 करोड़ एवं 12वाँ वित्त आयोग का 6.3 करोड़ रूपये की UC इस माह के अंत तक विभाग को भेज दिया जाएगा।

DDC को निदेश दिया गया कि BDO के साथ बैठक कर UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करें। साथ ही अपने जिले में कैम्प आयोजित

कृ0पृ0उ0

कर प्राथमिकता के रूप में त्वरित गति से Pre CFMS का UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

III. RGPSA- लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2022–23 तक का कुल 09.45 लाख रूपये की UC लंबित है। DPRO द्वारा बताया गया कि इस सप्ताह में 03 लाख रूपये की UC विभाग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। निदेश दिया गया कि 02 दिनों के अंदर UC तैयार कर विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

IV. RGSA Capacity building & Training--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 4872 लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 1781 प्रतिभागी द्वारा ही प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है जिसमे से 1362 लोगो का ही प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है। निदेश दिया गया कि इस संबंध में अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद)

V. मुख्यमंत्री सहयोग कार्यक्रम–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 900 प्राप्त मामलों के विरूद्ध 870 मामलों का ससमय निष्पादन हो चुका है तथा 13 मामले लंबित हैं। इस संबंध में DPRO एवं DDC को निदेश दिया गया कि इसकी नियमित समीक्षा कर मामलों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाए। यदि योजना से संबंधित शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित योजना को GPDP में शामिल कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

VI. जन–शिकायत–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक 22 मामलों के विरूद्ध 11 मामलों में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। DPRO को निदेश दिया गया कि जन–शिकायत से संबंधित सभी मामलों का नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए एक माह के अंदर निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही भ्रष्टाचार से संबंधित मामलो का गंभीरतापूर्वक जाँच कर विभाग को प्रतिवेदित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

VII. CPGRAM (Central level)–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 12 मामले लंबित है। 02 मामले तो 250 दिनो से अधिक लंबित है। निदेश दिया गया कि इसकी

लगातार.....

नियमित समीक्षा कर लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करना सुनिश्चित करें। यह भी पाया गया कि CPGRAM (Central level) में कई माह से लॉग–इन नहीं किया गया है। निदेश दिया कि सप्ताह में एक बार लॉग–इन कर मामलो का निष्पादन करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

VIII. पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जुन एवं जुलाई 2026 में क्रमशः कुल 164 एवं 55 Aspiration के विरूद्ध 90 एवं 36 का निष्पादन किया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निदेश दिया गया कि सभी Aspiration का निष्पादन ससमय किया जाए। सभी BPRO को Aspiration एवं Grievance में अंतर ज्ञात होना चाहिए तथा Aspiration के ससमय निष्पादन की जिम्मेवारी संबंधित BPRO की होगी।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

IX. पंचायत सरकार भवन की समीक्षाः–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में कुल निर्मित 165 पंचायत सरकार भवन के विरूद्ध 142 PSB का हस्तांतरण हो चुका है। बोधगया एवं मानपुर पखंड में 03–03 तथा गुरूआ प्रखंड में 02 पंचायतों में PSB का हस्तांतरण शेष है। निदेश दिया गया कि उक्त प्रखंडों के BPRO स्वयं स्थल भ्रमण कर कार्यकारी एजेंसी से समन्वय करते हुए PSB को हस्तांतरित कर क्रियाशील करना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यकारी एजेंसी के कार्यपालक अभियंता को हस्तांतरण हेतु प्रत्येक 15 दिनों में स्मारित करें।

निर्मित पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 140 संचालित पंचायत सरकार भवनों में 140 में RTPS केन्द्र, 131 में विद्युत कनेक्शन, 46 में डाकघर, 14 में NOFN एवं 87 में पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। इस संबंध में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का अपने स्तर से नियमित समीक्षा करें तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

सभी BPRO को निदेश दिया गया कि निर्मित एवं निर्माणाधीन PSB के Longitude एवं Latitude Google Sheet पर अपडेट करें ताकि BSNL के कर्मी NOFN के अधिष्ठापन हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सके।

समीक्षा में यह भी पाया गया कि कुल 165 निर्मित पंचायत सरकार भवन के विरूद्ध मात्र 74 PSB का Electricity CA No की Google Sheet में Entry की गयी है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। पृच्छा करने पर DPRO द्वारा दिया गया उत्तर असंतोषजनक पाया गया। प्रतीत होता है कि DPRO द्वारा रूचि नहीं ली जा रही है। निदेश दिया गया कि इस संबंध में गया जिले के DPRO से स्पष्टीकरण किया

लगातार.....

जाए। साथ ही BPRO को निदेश दिया गया कि सभी निर्मित PSB में यथाशीघ्र Electricity CA No की Google Sheet में Entry करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रशाखा–01)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ग्राम पंचायत (फेज–1) के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे कुल 45 PSB के विरूद्ध 27 PSB का ही निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। 04 पंचायतों में प्रथम तल लिंटर स्तर, 07 पंचायतों में प्रथम तल की छत ढलाई तथा 02–02 पंचायतों में द्वितीय तल लिंटर स्तर एवं द्वितीय तल की छत की ढलाई का ही कार्य किया गया है। 02 पंचायत में PSB का निर्माण कार्य फिनिशिंग स्टेज में है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निदेश दिया गया कि जो पंचाचत सरकार भवन फिनिशिंग स्टेज में है, उसे 10 दिनो के भीतर सभी आवश्यक कार्य पूर्ण कराकर क्रियाशील करना सुनिश्चित करें। जिन पंचायतो में PSB निर्माणाधीन है, वहाँ कार्य में तेजी लाते हुए निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए।

समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि कोंच प्रखंड के तत्कालीन BDO के द्वारा आवंटित राशि का व्यय किसी अन्य योजना मद में किये जाने के कारण PSB का निर्माण कार्य बाधित हो गया है। DPRO को निदेश दिया गया कि कोंच प्रखंड के तत्कालीन BDO के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

(ग) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 15 पंचायतो में भूमि समस्याग्रस्त है, जिसमें से मात्र 02 का ही निराकरण हुआ है। आमस प्रखंड के महुआमा पंचायत एवं नगर प्रखंड के केशरूधर्मपुर पंचायत में चिन्हित भूमि पर माननीय उच्च्य न्यायालय, पटना में वाद दायर है। 06 पंचायतों में समस्या का निराकरण कर निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। 03 पंचायतों में PSB हेतु भूमि अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि समस्या का निराकरण हो चुके पंचायतो में PSB का निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ किया जाए। जिन पंचायतों में चिन्हित भूमि पर न्यायालय में वाद दायर है, उन पंचायतों में वैकल्पिक भूमि का चयन किया जाए। यदि किसी पंचायत में भूमि अप्राप्त है तो भूमि अनुपलब्धता से संबंधित प्रमाण–पत्र जिला पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

(घ) ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे 1069 पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 30 स्वीकृत पंचायतों के विरूद्ध TA द्वारा सभी 30 का प्राक्कलन तैयार किया गया है। TA द्वारा तैयार 30 पंचायतों के प्राक्कलन के विरूद्ध 28 पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है परंतु मात्र 08 पंचायतों में ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। निदेश दिया गया कि व्यय की स्वीकृति प्राप्त हो चुके पंचायतों में निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करें। उल्लेखनीय है कि PSB का निर्माण कार्य BPRO की Sole Resposibility है।

लगातार.....

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

X. मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक 320 पंचायतों के विरूद्ध मात्र 26 पंचायतों में ही भूमि का चयन किया गया है, जिसमे से 26 पंचायतो को राशि आवंटित की गयी है। तकनीकी सहायक द्वारा 24 पंचायतों का प्राक्कलन तैयार किया गया है। TA द्वारा तैयार 24 पंचायतों के प्राक्कलन के विरूद्ध अबतक एक भी पंचायत में ना तो व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है और ना ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। इस पर घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। निदेश दिया गया कि सभी स्वीकृत पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्राप्त करते हुए अविलंब निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

XI. मुक्तिधाम, शवदाह–गृह, मृत्यु प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थितिः–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अबतक प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रो में कुल मात्र 497 मुक्तिधाम/शमशान चिन्हित किया गया है। सभी BPRO को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह में सरकारी भूमि में अवस्थित एवं पूर्व से संचालित शमशान/मुक्तिधाम का सर्वेक्षण कर संबंधित पोर्टल में विवरणी अपलोड किया जाए। दिनांक– 15.09.2026 के बाद संबंधित पोर्टल में प्रविष्टि बंद कर दी जाएगी एवं पोर्टल में प्रविष्ट शमशान में ही विभागीय निदेश के आलोक में अधिसंरचना का निर्माण कराया जाएगा। पूर्व में सभी सर्वेक्षित शमशान के निर्माण की योजना GPDP में लेने का निदेश दिया गया है। ग्राम पंचायतों में शमशान/मुक्तिधाम के निर्माण हेतु राशि आवंटित की गयी है। विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में नियमानुसार निर्माण कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शमशान/कब्रिस्तान से संबंधित पूर्व से जिला परिषद में 02, पंचायत समिति में 115 एवं ग्राम पंचायत में 121 योजना संचालित है। निदेश दिया गया कि पूर्व में निर्गत विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में मानक प्राक्कलन तैयार कर योजना पूर्ण कराकर राशि व्यय करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

लगातार.....

XII. 15वीं वित्त आयोग आयोग अंतर्गत ली गयी योजनाओं की अद्यतन प्रगतिः–

(क) 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्न्वत हैः–

15वीं वित्त आयोग		
क्र०सं०	**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं**	**व्यय प्रतिशत**
01	जिला परिषद्	20.23%
02	पंचायत समिति	36.54%
03	ग्राम पंचायत	55.42%

इमामगंज, मोहनपुर एवं डुमरिया प्रखंड के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी काफी कम है।

(ख) टेकारी प्रखंड के अम्माकुआं एव मुसी पंचायतों में इस वित्तीय वर्ष में व्यय की राशि शून्य है।

(ग) पिछले 05 वर्षो में eGramSwaraj पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 2394 के विरूद्ध मात्र 217, पंचायत समिति में 4010 के विरूद्ध 13 एवं ग्राम पंचायत में 18281 के विरूद्ध मात्र 57 योजना ही पूर्ण की गयी है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :–

1. इमामगंज, मोहनपुर एवं डुमरिया प्रखंड के BDO से DDC को कारण–पृच्छा करने का निदेश दिया।
2. BPRO टेकारी प्रखंड के अम्माकुआं एव मुसी पंचायतों की समीक्षा कर संबंधित पंचायत सचिव के विरूद्ध कार्रवाई के लिए DPRO को प्रतिवेदित करें।
3. विगत वर्षो से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

XIII. षष्ठ्म राज्य वित्त–ePanchayat Bihar Portal में ली गयी योजनाओं के व्यय की अद्यतन स्थितिः–

(क) षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्न्वत हैः–

षष्ठम राज्य वित्त आयोग	
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं	**व्यय प्रतिशत**
जिला परिषद्	07.65%
पंचायत समिति	37.12%
ग्राम पंचायत	26.47%

जिला परिषद द्वारा व्यय की गयी राशि की स्थिति अत्यंत की दयनीय है। साथ ही इमामागंज प्रखंड के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि भी काफी कम है।

लगातार.....

(ख) इमामगंज प्रखंड में 06, खिजरसराय प्रखंड में 04, मोहनपुर, परैया एवं टिकारी प्रखंड में 03–03, बोधगया, फतेहपुर, गया शहर, कोंच, मानपुर, मुहरा एवं वजीरगंज प्रखंड में 02–02, आमस, अत्री, बेलागंज, डोबी, डुमरिया एवं नीमचक बथानी प्रखंड में 01–01 पंचायत ऐसे है, जहाँ व्यय की गयी राशि शून्य है।

मानपुर प्रखंड में इस वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायतों द्वारा मात्र 17.54% राशि का ही व्यय किया गया है। पृच्छा करने पर BPRO द्वारा बताया गया कि संचयात्मक रूप में उनके प्रखंड के ग्राम पंचायतों में लगभग 80% राशि का व्यय हो चुका है तथा शेष राशि भी काफी कम है। उनको बताया गया कि केवल इस वित्तीय वर्ष के व्यय की समीक्षा हो रही है, परंतु उनके द्वारा इस वित्तीय वर्ष की राशि का कम व्यय होने से संबंधित दिया गया उत्तर असंतोषजनक पाया गया। DPRO को निदेश दिया गया कि मानपुर प्रखंड के BPRO के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

(ग) पिछले 05 वर्षो में eGramSwaraj पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 1007 के विरूद्ध मात्र 03, पंचायत समिति में 1545 के विरूद्ध 00 एवं ग्राम पंचायत में 6447 के विरूद्ध मात्र 16 योजना ही पूर्ण की गयी है।

(घ) 15 लाख से उपर पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत में 01–01 Scheme ऐसी है, जिसका विभागीय क्रियान्वयन कराया गया है, जो विभागीय दिशा–निर्देश का उल्लंघन है।

(ङ) विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों में कार्यरत विभिन्न वेंडरों में से एक ही वेंडर को 90–95% राशि का भुगतान किया गया है तथा एक ही वेंडर द्वारा कई प्रखंडों में सामग्री/सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :–

1. DDC एवं ACEO को जिला परिषद द्वारा व्यय की गयी राशि का व्यक्तिगत एवं गंभीरतापूर्वक समीक्षा कर व्यय में प्रगति लाने का निदेश दिया गया। इमामागंज प्रखंड के BDO से DDC को कारण–पृच्छा करने का निदेश दिया।
2. BPRO निम्न व्यय वाले पंचायतों की समीक्षा कर संबंधित पंचायत सचिव के विरूद्ध कार्रवाई के लिए DPRO को प्रतिवेदित करें।
3. विगत वर्षो से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।
4. सामग्री/सेवाओं के क्रय एवं आपूर्ति में वेंडर एवं पंचायत समिति/पंचायत के मिलीभगत की विस्तृत समीक्षा एवं जांच जिला स्तर पर की जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

लगातार............

XIV. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजनाः–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सभी चरणो को मिलाकर अद्यतन स्थिति तक गया जिले में 99% सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन पूर्ण हो चुका है। साथ ही CMS पर 72 घंटों से अधिक सिग्नल लॉस एवं फॉल्टी लाईटो की संख्या क्रमशः 2139 एवं 61 है।

(ख) चतुर्थ चरण में ग्राम पंचायतों द्वारा प्रावधानित 45% भुगतान के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि टिकारी प्रखंड को छोड़कर शेष प्रखंडों के पंचायतों में Bill Submit करने के उपरांत भी भुगतान नहीं किया गया है।

CMS App के माध्यम से प्राप्त शिकायत के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 77 मामलो में 69 का निष्पादन हुआ है तथा 08 मामले अभी भी लंबित है।

(ग) दिनांक– 01.01.2026 से 08.09.2026 तक पंचायत सचिवो के द्वारा किये गये Inspection के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में कुल 90% सोलर लाईट ON पाई गयी है, जिसमें से परैया प्रखंड में ON पाई गई लाइटो का प्रतिशत कम है।

यह भी पाया गया कि कुल 24 प्रखंडो में से 15 प्रखंडो के BPRO के द्वारा ही सोलर लाईट का निरीक्षण किया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

उपरोक्त के आलोक में निम्नांकित निदेश दिये गये :–

1. एजेंसी से समन्वय कर 07 दिनो के अंदर 100% लाईट का अधिष्ठापन कराना सुनिश्चित करें। एकरारनामा की शर्त्तों के अनुसार फॉल्टी, सिग्नल लॉस लाईट का 72 घंटे के अंदर निराकरण सुनिश्चित करायें।
2. पंचायत स्तर पर भुगतान कराने की जिम्मेवारी संबंधित BPRO की है। यदि एजेंसी द्वारा विधिवत Bill Submit किया गया है तो सत्यापन एवं GISR पूर्ण कर अभियान चलाकर 15 दिनों के अंदर 100% भुगतान करना सुनिश्चित करें।
3. पंचायत सचिव के द्वारा परैया प्रखंड के Inspection में OFF पाई गयी लाईटों के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

शेष 09 प्रखंडो के BPRO को एक सप्ताह के अंदर सोलर लाईट का निरीक्षण कर प्रतिवेदन अपलोड करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

XV. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला स्तर पर पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालय का नियमित निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक–9164 दिनांक– 17.08.2023 द्वारा निरीक्षण से संबंधित दिशा–निर्देश संसूचित है। निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र के आलोक में DDC, DPRO एवं सभी BPRO पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालय का नियमित निरीक्षण कर संबंधित प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

XVI. समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि पंचायती राज विभाग के जिला/पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मियो द्वारा नियमित रूप से बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा विस्तृत रूप में दिशा–निर्देश संसूचित कर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। सभी DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही सभी कर्मियों का वेतन/मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद)

XVII. लंबित न्यायिक वाद :–

गया जी जिले में कुल 10 CWJC लंबित है। निदेश दिया गया कि MJC मामलों का 07 दिनों तथा CWJC मामलों का निष्पादन 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः–सभी उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रशाखा–9)

XVIII. e- GRAM KACHAHARI :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रखंड स्तर पर प्रति ग्राम पंचायत पंजीकृत एवं निष्पादित मामलों की संख्या काफी कम है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी है। DPRO को निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में शून्य पंजीकृत एवं निष्पादित ग्राम कचहरियों की संख्या अधिक है, उन ग्राम कचहरियों के ग्राम कचहरी सचिव एवं न्यायमित्र पर नियमानुसार कार्रवाई करें।

(अनुपालनः– जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी तथा प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

XIX. विधान सभा/परिषद–

गया जी जिले में कुल 38 प्रश्न लंबित है। निदेश दिया गया कि 15 दिनों के अन्दर सभी प्रश्नों का उत्तर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रशाखा)

XX. उल्लेखनीय है कि पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त एवं आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बिहार के 2052 पंचायतों में Computer System उपलब्ध कराया गया है। गया जी जिले में भी 106 पंचायतों में ये सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। निदेश दिया गया कि सभी Computer System की सही तरीके से जाँच कर Inspection Report यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

लगातार............

सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

21/9/26

(मनोज कुमार)
सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः–14प० / कार्यवाही–02–02 / 2026 / 13466 **/ पं०रा० पटना, दिनांक** 22/9 **/ 2026**

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, गया जी / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, गया जी / जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया जी / अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया जी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/09/26

(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांकः–14प० / कार्यवाही–02–02 / 2026 / 13466 **/ पं०रा० पटना, दिनांक** 22/9 **/ 2026**

प्रतिलिपिः–सचिव के प्रधान आप्त सचिव / विशेष सचिव / निदेशक के आशुलिपिक / अपर सचिव के आशुलिपिक / सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी / सभी प्रभारी पदाधिकारी / सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/09/26

(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांकः–14प० / कार्यवाही–02–02 / 2026 / 13466 **/ पं०रा० पटना, दिनांक** 22/9 **/ 2026**

प्रतिलिपिः–आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/09/26

(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी